महानिदेशालय
केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल
(गृह मंत्रालय)

ब्लॉक-13, सीजीओ कॉम्प्लेक्स
लोधी रोड, नई दिल्ली-110003

क्रमांक-ई-38011/1/2024/स्था.11/4009 दिनांक: 23 दिसंबर 2024

परिपत्र संख्या 07/2024

विषय: अराजपत्रित अधिकारियों की पोस्टिंग/स्थानांतरण के लिए दिशा-निर्देश

1. पृष्ठभूमि

क) सीआईएसएफ एक केन्द्रीय सशस्त्र पुलिस बल (सीएपीएफ) है जिसकी स्थापना सीआईएसएफ अधिनियम-1968 के तहत की गई है। सीआईएसएफ अधिनियम-1968 की धारा-3 के अनुसार: "केन्द्र सरकार द्वारा एक सशस्त्र बल का गठन और रखरखाव किया जाएगा, जिसे केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल कहा जाएगा, ताकि उस सरकार, संयुक्त उद्यम या निजी औद्योगिक उपक्रम के स्वामित्व वाले औद्योगिक उपक्रमों की बेहतर संरक्षण और सुरक्षा की जा सके और केन्द्र सरकार द्वारा उसे सौंपे जाने वाले ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन किया जा सके। "

ख) बल के सांविधिक अधिदेश को आगे बढ़ाते हुए, सीआईएसएफ को आणविक ऊर्जा, अंतरिक्ष, तेल, बिजली, कोयला, इलेक्ट्रॉनिक्स, इस्पात, बंदरगाहों, हवाई अड्डों, केंद्र सरकार की इमारतों (सीजीबीएस), संसद भवन परिसर (पीएचसी), विरासत स्मारकों, मेट्रो रेल आदि जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों में प्रतिष्ठानों की सुरक्षा सौंपी गई है। इनमें से कई प्रतिष्ठान देश के दुर्गम जलवायु क्षेत्रों में नक्सलवाद/उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों/दूरस्थ स्थानों में स्थित हैं। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पास एक समर्पित अग्नि सुरक्षा विंग भी है जो विविध क्षेत्रों में महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों को अग्नि की रोकथाम और अग्नि संरक्षण प्रदान करता है। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के अधिकारी/कार्मिक एनडीएमए/एनडीआरएफ बटालियनों, एस पी जी, एन एस जी, अन्य सी ए पी एफ आदि में प्रतिनियुक्ति पर शामिल होते हैं और संयुक्त राष्ट्र मिशन और विदेशों में अन्य कर्तव्यों का पालन करते हैं। पिछले कुछ वर्षों में, बल में कई गुना वृद्धि हुई है और आज सीआईएसएफ के बल सदस्यों की स्वीकृत की संख्या 1,94,053 है और यह देश भर में 359 इकाइयों को सुरक्षा प्रदान करता है।

ग) बल की विविध और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियों को देखते हुए, सीआईएसएफ अधिनियम-1968 की धारा-15 में यह अधिदेश दिया गया है कि बल के प्रत्येक सदस्य को हमेशा ड्यूटी पर माना जाएगा और किसी भी समय भारत के भीतर या बाहर किसी भी स्थान पर नियोजित किया जा सकता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि बल के सदस्यों को देश के सभी क्षेत्रों से भर्ती किया जाता है, जो बल को क्षेत्रीय विविधता के साथ-साथ अखिल भारतीय चरित्र भी प्रदान करता है।

घ) जिस सुरक्षा माहौल में सीआईएसएफ काम करता है, वह तकनीक के बढ़ते इस्तेमाल, ड्रोन से होने वाले खतरों और सुरक्षा समाधानों में अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों को अपनाने के साथ-साथ वैश्विक और गतिशील होता जा रहा है। इसलिए संगठन में नई तकनीक, कौशल और ज्ञान को लगातार शामिल करने की तत्काल आवश्यकता है ताकि बल को उभरती सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए भविष्य में तैयार किया जा सके। इसलिए विभिन्न सुरक्षा क्षेत्रों में बल सदस्यों के बीच प्रशिक्षण और डोमेन विशेषज्ञता के निर्माण पर ध्यान केंद्रित करना आवश्यक है। सामाजिक परिवर्तनों जैसे बल में शामिल होने वाली महिलाओं की बढ़ती संख्या और बल में कार्यरत विवाहित दम्पति को भी स्थानांतरण/पोस्टिंग दिशा-निर्देश तैयार करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

ड़) परिचालन और प्रशासनिक आवश्यकताओं को प्रभावित करने वाले उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य और गतिशील सुरक्षा वातावरण को ध्यान में रखते हुए, 2017 में जारी अराजपत्रित अधिकारियों के पोस्टिंग/स्थानांतरण दिशा-निर्देशों की समीक्षा की गई है और निम्नलिखित दिशा-निर्देश जारी किए जाते हैं।

2. **सेवा अवधि के दौरान अराजपत्रित अधिकारियों के लिए कार्यकाल-वार पोस्टिंग दिशा-निर्देश:**

2.1 इसके बाद के प्रावधानों के अधीन, आरक्षकों, प्रधान आरक्षकों, सहायक उप निरीक्षकों, उप निरीक्षकों और निरीक्षकों (अर्थात् अराजपत्रित अधिकारियों) की उनकी पूरी सेवा अवधि के दौरान नियुक्ति की अवधि निम्नानुसार होगी: -

क) **बुनियादी प्रशिक्षण अवधि:** बुनियादी प्रशिक्षण अवधि को गृह क्षेत्र/गृह से बाहर के क्षेत्र दोनों के अंतर्गत नहीं गिना जाएगा।

ख) बुनियादी प्रशिक्षण के बाद **पहला कार्यकाल** 10 वर्ष का होगा

i) इस अवधि के दौरान पोस्टिंग 3 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें स्थानांतरण आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा बल सदस्य के अनुरोध पर किसी एक कार्यकाल को 1 वर्ष के लिए बढ़ाने का विकल्प होगा। बुनियादी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद पहली पोस्टिंग बल सदस्य से कोई विकल्प लिए बिना बल मुख्यालय द्वारा जारी की जाएगी और यह "आउट ऑफ होम सेक्टर" में होगी।

ii) 3 वर्ष का दूसरा कार्यकाल संबंधित क्षेत्र के महानिरीक्षकों द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर बल सदस्य की पसंद पूछे बिना तय किया जाएगा।

iii) अंतिम 3 वर्ष की पोस्टिंग बल मुख्यालय द्वारा बल सदस्य की पसंद पूछे बिना "आउट ऑफ होम सेक्टर" में की जाएगी।

ग) **दूसरा कार्यकाल** 12 वर्ष का होगा

i) सभी अराजपत्रित अधिकारियों को वरीयता क्रम में 10 स्थान चुनने को कहा जाएगा और बल सदस्य की योग्यता के आधार पर उसे बल मुख्यालय द्वारा पसंदीदा स्थान पर तैनात किया जा सकता है।

ii) पोस्टिंग के 3 वर्ष बाद अराजपत्रित अधिकारी को पुनः वरीयता क्रम में 10 विकल्प देने के लिए कहा जाएगा तथा उसकी योग्यता के आधार पर उसे उसकी पसंद के स्थान पर नियुक्त किया जा सकता है।

iii) इस प्रकार, इन 12 वर्षों के दौरान 3 वर्ष के 4 स्थानांतरण चक्र होंगे। कोई भी बल सदस्य अपनी पसंद के समान स्थान को विभिन्न स्थानांतरण के दौरान प्रस्तुत कर सकता है, लेकिन आम तौर पर उसे एक ही इकाई में एक से अधिक बार पोस्ट नहीं किया जाएगा।

घ) **तीसरा कार्यकाल** 6 वर्ष का होगा

i) प्रारंभिक 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान, बल सदस्य को बल मुख्यालय द्वारा बिना किसी क्रम के(रैंडम) आधार पर हार्ड एरिया/आउट ऑफ होम सेक्टर में तैनात किया जाएगा। कोई विकल्प नहीं लिया जाएगा।

ii) अगले 3 वर्ष के कार्यकाल के दौरान, व्यक्ति को आउट ऑफ होम सेक्टर से 10 स्थानों का विकल्प प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा और उसकी योग्यता के आधार पर उसे पसंदीदा स्थान आवंटित किया जा सकता है।

ड.) **चौथा कार्यकाल:** शेष सेवा

i) 2 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले पुरूष/महिला बल सदस्य को वरीयता क्रम में गृह क्षेत्र सहित 03 स्थान का विकल्प प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा और उस पुरूष/महिला बल सदस्य को उसकी योग्यता के आधार पर पसंद के स्थान पर तैनात किया जा सकता है।

ii) यदि किसी बल सदस्य की शेष सेवा 2 वर्ष से अधिक है, तो उसे वरीयता क्रम में गृह क्षेत्र सहित स्थान के कोई भी 10 विकल्प प्रस्तुत करने के लिए कहा जाएगा और उसे उसकी योग्यता के आधार पर पसंद के स्थान पर तैनात किया जा सकता है। यदि किसी अराजपत्रित अधिकारी की उक्त 3 वर्ष की अवधि पूरी करने के बाद शेष सेवा अवधि 2 वर्ष से कम है, तो खंड महानिरीक्षक द्वारा उसके अनुरोध के आधार पर उसे कार्यकाल में विस्तार दिया जा सकता है।

iii) यदि ऊपर उल्लिखित 3 वर्ष के कार्यकाल के बाद, सेवानिवृत्ति से पहले 2 वर्ष की अवधि को छोड़कर शेष कार्यकाल 2 वर्ष या उससे अधिक है, तो उसे वरीयता क्रम में गृह क्षेत्र सहित 10 स्थान चुनने के लिए कहा जाएगा और उसे उसकी योग्यता के आधार पर पसंद के स्थान पर तैनात किया जा सकता है। यह चक्र तब तक दोहराया जा सकता है जब तक कि व्यक्ति उपरोक्त (i)/(ii) के तहत पात्र नहीं हो जाता।

2.2 हार्ड एरिया पोस्टिंग

क) तैनाती के उद्देश्य से दुर्गम क्षेत्रों में पूर्वोत्तर राज्यों अर्थात् असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जम्मू और कश्मीर, वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र और ऐसे अन्य दूरदराज के क्षेत्र शामिल होंगे, जिन्हें वार्षिक रूप से अधिसूचित किया जाता है।

ख) हार्ड एरिया में स्थित इकाइयों में पोस्टिंग का कार्यकाल 3 वर्ष होगा।

ग) कार्मिक को हार्ड एरिया पोस्टिंग के कम से कम एक कार्यकाल से गुजरना होगा। जहां तक संभव हो 50 वर्ष से कम उम्र के कार्मिकों को हार्ड एरिया में तैनात किया जाएगा।

घ) हार्ड एरिया फॉर्मेशन/यूनिट से 30 दिनों से अधिक के लिए किसी भी प्रकार की छुट्टी/अटैचमेंट/अस्थायी ड्यूटी को हार्ड एरिया कार्यकाल के प्रयोजन के लिए नहीं गिना जाएगा।

ई) हार्ड एरिया में तैनात कर्मियों को आम तौर पर क्षेत्र में निर्धारित कार्यकाल पूरा होने तक आंतरिक सुरक्षा/चुनाव ड्यूटी आदि जैसे कर्तव्यों के लिए तैनात नहीं किया जाएगा।

2.3 पदोन्नति पर पोस्टिंग

क) पदोन्नति पर, एक अराजपत्रित बल सदस्य को पदोन्नत रैंक में रिक्तियों की उपलब्धता के अधीन उसी/निकटवर्ती स्थान पर तैनात किया जा सकता है। बल सदस्य का कार्यकाल 03 वर्ष का होगा।

ख) पदोन्नत स्थान पर 03 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने पर, बल सदस्य को उसके मामले में लागू स्थानांतरण/पोस्टिंग दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अनुसार तैनात किया जाएगा।

3. विशिष्ट श्रेणियों के लिए पोस्टिंग दिशा-निर्देश:

3.1 इस श्रेणी में **महिला कार्मिकों** में एकल/अविवाहित/तलाकशुदा महिलाएं और गैर कामकाजी जीवनसाथी वाली महिलाएं शामिल हैं।

यदि उनकी वैवाहिक स्थिति में कोई बदलाव होता है और जीवनसाथी नौकरी में शामिल होता है, तो विवाहित कामकाजी जोड़ों से संबंधित पैरा 3.2 के प्रावधान लागू होंगे।

क) बुनियादी प्रशिक्षण के बाद **पहला कार्यकाल** 6 वर्ष का होगा।

i) बुनियादी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद पहली पोस्टिंग बल मुख्यालय द्वारा व्यक्ति की पसंद को ध्यान में रखे बिना जारी की जाएगी और यह होम सेक्टर से बाहर होगी।

ii) 3 साल का दूसरा कार्यकाल संबंधित सेक्टर महानिरीक्षकों द्वारा अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर बल सदस्य से विकल्प मांगे बिना तय किया जाएगा।

ख) **शेष सेवा**

i) सभी महिला कर्मियों को वरीयता क्रम में 10 स्थान चुनने के लिए कहा जाएगा और बल सदस्य की योग्यता के आधार पर, उन्हें बल मुख्यालय द्वारा पसंदीदा स्थान पर तैनात किया जा सकता है।

ii) प्रत्येक 3 वर्ष की तैनाती के बाद, बल की महिला सदस्य को वरीयता क्रम में 10 स्थान चुनने के लिए कहा जाएगा और उसे उसकी योग्यता के आधार पर पसंद के स्थान पर तैनात किया जा सकता है।

ग) अनुकंपा के आधार पर नियुक्त महिला कार्मिकों को उनकी पूरी सेवा के दौरान गृह क्षेत्र में तैनात किया जाएगा, जब तक कि उनके द्वारा विशेष रूप से अनुरोध न किया जाए और सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकार न किया जाए। हालाँकि, यदि वे किसी सेवारत केऔसुब कार्मिक से विवाह करती हैं, तो सामान्य युगल पोस्टिंग दिशा-निर्देश लागू होंगे।

3.2 विवाहित कार्यरत दम्पति के मामले

क) बल में कार्यरत पति और पत्नी को उनके संयुक्त अनुरोध के आधार पर एक ही स्थान पर तैनाती के लिए स्थानांतरण/तैनाती दिशा-निर्देशों के अधीन विचार किया जा सकता है। ऐसे मामलों में दोनों का तैनाती आदेश एक साथ जारी किया जाएगा।

(ख) यदि पति-पत्नी में से कोई एक सीआईएसएफ में राजपत्रित अधिकारी है, तो पति-पत्नी दोनों को एक ही इकाई में तैनात नहीं किया जाएगा।

ग) ऐसे विवाहित कार्यरत दम्पतियों के मामले में, जहां पति/पत्नी में से कोई एक सीआईएसएफ में अराजपत्रित बल सदस्य है, तो उसे मामला दर मामला के आधार पर और रिक्तियों की उपलब्धता और स्थानांतरण पोस्टिंग दिशा-निर्देशों के प्रावधानों के अधीन उसी/निकटवर्ती स्थान पर तैनात किया जा सकता है जहां उसका पति/पत्नी तैनात है।

3.3. भूतपूर्व सैनिक (ईएसएम)

वर्तमान में बल में सेवारत भूतपूर्व सैनिक को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार तैनात किया जाएगा:

क) बुनियादी प्रशिक्षण के बाद पहला कार्यकाल 3 वर्ष का होगा।

i) बुनियादी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद पहली पोस्टिंग बल सदस्य की पसंद को ध्यान में रखे बिना बल मुख्यालय द्वारा जारी की जाएगी और यह आउट ऑफ होम सेक्टर में होगी।

ख) **शेष सेवा**

i) सभी भूतपूर्व सैनिक कर्मियों को वरीयता क्रम में 10 स्थान चुनने को कहा जाएगा और उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें बल मुख्यालय द्वारा पसंदीदा स्थान पर तैनात किया जा सकता है।

ii) प्रत्येक 3 वर्ष की नियुक्ति के बाद उनसे पुनः वरीयता क्रम में 10 विकल्प देने को कहा जाएगा तथा उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें उनकी पसंद के स्थान पर नियुक्त किया जा सकता है।

3.4 हवाई अड्डा क्षेत्र (एपीएस)

क) विमानन सुरक्षा एक विशेष क्षेत्र है। विमानन सुरक्षा में तैनात केऔसुब कर्मियों को बुनियादी AVSEC प्रशिक्षण/पाठ्यक्रम से गुजरना पड़ता है। स्नातक कर्मियों को स्क्रीनर ड्यूटी के लिए योग्य होने के लिए स्क्रीनर टेस्ट पास करना होता है। समय-समय पर उनका परीक्षण भी किया जाता है और यदि कोई कार्मिक परीक्षण में विफल हो जाता है, तो उसे स्क्रीनर ड्यूटी के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता है। केऔसुब वर्तमान में देश भर में फैले हवाई अड्डों पर 40,000 से अधिक कर्मियों की तैनाती के साथ 70 हवाई अड्डों को सुरक्षा प्रदान कर रहा है। कई हवाई अड्डों को अति संवेदनशील और संवेदनशील हवाई अड्डों का दर्जा दिया गया है। इस प्रकार, हवाई अड्डा सुरक्षा समूह (ASG) को विशेष कौशल वाले बड़े पैमाने पर जनशक्ति की आवश्यकता होती है।

ख) इन विचारों को ध्यान में रखते हुए, केऔसुब के अराजपत्रित बल सदस्यों को निम्नलिखित दिशा-निर्देशों के अनुसार हवाई अड्डा सेक्टर (एपीएस) में तैनात किया जाएगा।

i) बल सदस्यों के लिए हवाई अड्डा सेक्टर (एपीएस) में तैनाती का अधिकतम कार्यकाल 12 वर्ष होगा, जिसमें एपीएस-I और एपीएस-II सेक्टरों में प्रत्येक में 6 वर्ष का कार्यकाल होगा।

ii) सीधे भर्ती किए गए उप निरीक्षक को एपीएस के अलावा फील्ड इकाई में एक कार्यकाल पूरा करने के बाद ही एपीएस में तैनात किया जाएगा।

iii) एक एएसजी में कार्यकाल 3 वर्ष का होगा। तदनुसार, एक बल सदस्य सामान्यत: अपने कार्यकाल के दौरान 2 एएसजी में प्रत्येक में एपीएस-I और एपीएस-II में कार्य करेगा।

iv) एपीएस मुख्यालय, एक सेक्टर में 6 वर्ष का कार्यकाल पूरा होने के बाद एपीएस के एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर में कार्मिकों की तैनाती करेगा।

v) महानिरीक्षक एपीएस-I/II (नीति में परिभाषित उसकी पात्रता के अनुसार अराजपत्रित बल सदस्यों से 10 विकल्प मांगने के बाद) बल सदस्य को एएसजी इकाई में पदस्थापित करेगा। इसी तरह, एक एएसजी में 3 वर्ष का कार्यकाल पूरा करने के बाद, अराजपत्रित बल सदस्यों को पात्रता के अनुसार विकल्प और योग्यता के आधार पर दूसरी एएसजी इकाई में पदस्थापित किया जाएगा।

3.5. डोमेन विशेषज्ञ

संगठन में लगातार नए ज्ञान, तकनीक और कौशल को शामिल करने के लिए, विविध क्षेत्रों में "डोमेन विशेषज्ञों" की आवश्यकता है। परिभाषित क्षेत्रों में असाधारण ज्ञान, कौशल और विशेषज्ञता वाले अराजपत्रित बल सदस्यों का चयन बल मुख्यालय द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। इन विशेषज्ञों के पास अपने डोमेन में उच्चतम स्तर का ज्ञान/कौशल होना चाहिए ताकि बल भविष्य के लिए तैयार हो सके। बल मुख्यालय कार्मिक निदेशालय प्रौद्योगिकी, विमानन सुरक्षा, एंटी-ड्रोन सिस्टम, बीडीडीएस, कैनाइन, प्रशिक्षण, युद्ध शिल्प, हथियार और रणनीति, सुरक्षा/अग्नि परामर्श आदि जैसे क्षेत्रों में ऐसे "डोमेन विशेषज्ञों" को सालाना अधिसूचित करेगा। एक बार जब किसी बल सदस्य को किसी विशेष क्षेत्र में "डोमेन विशेषज्ञ" के रूप में नामित कर दिया जाएगा, तो उसे आवश्यकता के अनुसार बल मुख्यालय द्वारा पोस्ट किया जाएगा। डोमेन विशेषज्ञ के रूप में उनके पदनाम की समीक्षा हर 03 साल के बाद की जाएगी। डोमेन विशेषज्ञों के कार्यकाल को विकल्प रहित कार्यकाल माना जाएगा।

3.6. प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण

क) आउटडोर और इनडोर विषयों के प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण संस्थान/निसा में शिक्षण संबंधी कार्य करने की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण निदेशालय, दिल्ली मौजूदा प्रशिक्षकों के प्रदर्शन की समीक्षा वार्षिक आधार पर करेगा, उपयुक्त प्रक्रिया के माध्यम से नई प्रतिभाओं का चयन करेगा और उन्हें प्रशिक्षकों के रूप में अधिसूचित करेगा। एक बार जब किसी बल सदस्य को प्रशिक्षण प्रशिक्षक के रूप में अधिसूचित कर दिया जाएगा, तो वह 03 वर्षों तक पद पर बना रहेगा और उसके बाद फिर से समीक्षा के लिए आएगा। जिन प्रशिक्षकों को वार्षिक समीक्षा के बाद अधिसूचित नहीं किया जाएगा, उन्हें उनके मामले में लागू स्थानांतरण/पोस्टिंग दिशानिर्देशों के अनुसार तैनात किया जाएगा।

ख) प्रशिक्षक के रूप में अधिसूचित अराजपत्रित बल सदस्यों को क्षेत्रीय इकाइयों में 6 वर्ष पूरा करने के बाद ही प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रशिक्षक के रूप में नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा।

ग) केऔसुब प्रशिक्षण संस्थान में प्रशिक्षक का सामान्य कार्यकाल 04 वर्ष होगा, जिसे अधिकतम 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकेगा।

घ) प्रशिक्षण क्षेत्र में प्रशिक्षक अराजपत्रित अधिकारियों का कुल कार्यकाल 10 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। प्रशिक्षण क्षेत्र में कुल मिलाकर 10 वर्ष पूरे करने वाले प्रशिक्षकों को फील्ड इकाइयों में तैनात किया जाना चाहिए।

ड़) अपने गृह क्षेत्र के प्रशिक्षण संस्थान में तैनात प्रशिक्षकों के कार्यकाल का 50% आउट ऑफ होम सेक्टर/विकल्प रहित कार्यकाल माना जाएगा। यह प्रशिक्षण संस्थानों में गैर-प्रशिक्षक के रूप में काम करने वाले कर्मियों के लिए लागू नहीं होगा।

3.7 एसएसजी बटालियन

क) एसएसजी बटालियन में कार्यकाल सामान्यत 4 वर्ष का होगा।

ख) एसएसजी बटालियन में उत्तरी खंड-राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र कर्मियों के कार्यकाल का 50% आउट ऑफ होम सेक्टर/विकल्प रहित कार्यकाल माना जाएगा। यह एसएसजी बटालियन मुख्यालय में प्रशासनिक ड्यूटी में काम करने वाले कर्मियों के लिए लागू नहीं होगा।

ग) एसपीजी/एनएसजी से वापस आने वाले कार्मिकों को एक कार्यकाल के लिए उनकी पसंद/नापसंद पात्रता के बावजूद एसएसजी बटालियन में तैनात किया जा सकता है, जो उनके प्रशिक्षित जनशक्ति होने के नाते उनकी उपयुक्तता आर आवश्यकता के अधीन होगा।

3.8. ट्रेड्समैन

क) बुनियादी प्रशिक्षण के बाद **पहला कार्यकाल** 10 वर्ष का होगा।

i) इस अवधि के दौरान पोस्टिंग 3 वर्ष की अवधि की होगी, जिसमें अराजपत्रित बल सदस्यों के अनुरोध पर किसी एक कार्यकाल को स्थानांतरण आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1 वर्ष तक बढ़ाने का विकल्प होगा। बुनियादी प्रशिक्षण पूरा होने के बाद पहली पोस्टिंग व्यक्ति से कोई विकल्प लिए बिना बल मुख्यालय द्वारा जारी की जाएगी और यह आउट ऑफ होम सेक्टर में होगी।

ii) 3 वर्ष का दूसरा कार्यकाल संबंधित सेक्टर महानिरीक्षक द्वारा उनके अधिकार क्षेत्र के भीतर व्यक्ति की पसंद पूछे बिना तय किया जाएगा।

iii) अंतिम 3 वर्ष की पोस्टिंग का निर्णय आउट ऑफ होम सेक्टर में बल मुख्यालय द्वारा व्यक्ति की पसंद पूछे बिना किया जाएगा।

ख) शेष सेवा

i) सभी ट्रेड्समैनों को वरीयता क्रम में 10 स्थान चुनने को कहा जाएगा तथा व्यक्ति की योग्यता के आधार पर उसे बल मुख्यालय द्वारा पसंदीदा स्थान पर तैनात किया जा सकता है।

ii) प्रत्येक 3 वर्ष की नियुक्ति के बाद उनसे पुनः वरीयता क्रम में 10 विकल्प देने को कहा जाएगा तथा उनकी योग्यता के आधार पर उन्हें उनकी पसंद के स्थान पर नियुक्त किया जा सकता है।

3.9 डॉग हैंडलर

क) सक्रिय डॉग हैंडलर की सूची बल मुख्यालय/प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा हर साल उनके प्रदर्शन की समीक्षा और नए डॉग हैंडलर की भर्ती के आधार पर अधिसूचित की जाएगी। केवल वे डॉग हैंडलर ही सक्रिय डॉग हैंडलर के रूप में अधिसूचित किए जाएंगे जो डॉग हैंडलर के कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उपयुक्त पाए जाएंगे।

ख) डॉग हैंडलर के रूप में अधिसूचित कार्मिकों की नियुक्ति की अधिकतम अवधि 10 वर्ष होगी।

ग) एक इकाई में डॉग हैंडलर का सामान्य कार्यकाल 4 वर्ष होगा जिसे स्थानांतरण आदेश जारी करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। अधिसूचित सूची से बाहर किए गए डॉग हैंडलर को अराजपत्रित बल सदस्यों पर लागू स्थानांतरण/पोस्टिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार तैनात किया जाएगा।

घ) अपने गृह क्षेत्र की इकाई में तैनात श्वान संचालकों के कार्यकाल का 50% आउट ऑफ होम सेक्टर/गैर-विकल्प कार्यकाल के रूप में माना जाएगा।

3.10 खेल कार्मिक

क) खेलों में सक्रिय अराजपत्रित कार्मिकों की सूची उनके प्रदर्शन की जांच के बाद बल मुख्यालय/प्रशिक्षण निदेशालय द्वारा वार्षिक आधार पर अधिसूचित की जाएगी। वार्षिक समीक्षा के दौरान अधिसूचित सूची में नए खेल कार्मिकों को जोड़ा जा सकता है। सक्रिय खिलाड़ी सूची से बाहर किए गए खेल कार्मिकों को अराजपत्रित कार्मिकों पर लागू स्थानांतरण/पोस्टिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार तैनात किया जाएगा।

ख) खेलों में सक्रिय अधिसूचित अराजपत्रित कार्मिकों को उनके खेल/प्रतियोगिता की आवश्यकता के अनुसार स्थान पर तैनात किया जाएगा।

ग) खेलों में सक्रिय अधिसूचित अराजपत्रित कार्मिकों का कार्यकाल गृह क्षेत्र से बाहर/गैर-विकल्प कार्यकाल माना जाएगा।

3.11 बैंड्समेन

क) प्रदर्शन की समीक्षा और नए कार्मिकों की भर्ती के आधार पर, सक्रिय बैंड्समेन की सूची, वाद्ययंत्रों के अनुसार, बल मुख्यालय/प्रशासन निदेशालय द्वारा प्रतिवर्ष अधिसूचित की जाएगी।

ख) एक यूनिट में अधिसूचित बैंड्समेन का सामान्य कार्यकाल 6 वर्ष का होगा और उन्हें बैंड से संबंधित कर्तव्यों के अनुसार बल मुख्यालय द्वारा स्थानांतरित किया जाएगा। अधिसूचित सक्रिय बैंड्समेन सूची से बाहर किए गए कार्मिकों को अराजपत्रित अधिकारियों के स्थानांतरण/पोस्टिंग दिशा-निर्देशों के अनुसार तैनात किया जाएगा।

ग) अपने गृह क्षेत्र की इकाई में तैनात बैंड्समेन के कार्यकाल का 50% गृह क्षेत्र से बाहर/गैर-विकल्प कार्यकाल के रूप में माना जाएगा।

3.12 प्रतिनियुक्ति के मामले

प्रतिनियुक्ति के मामलों में, सीआईएसएफ के बाहर की प्रतिनियुक्ति की अवधि को उस स्थान के आधार पर गृह क्षेत्र/ गृह क्षेत्र से बाहर गिना जाएगा जहां व्यक्ति शारीरिक रूप से तैनात/नियोजित है, । उदाहरण के लिए, दक्षिण क्षेत्र से संबंधित किसी बल सदस्य के लिए, दिल्ली में प्रतिनियुक्ति पर बिताई गई अवधि को गृह क्षेत्र से बाहर माना जाएगा, लेकिन अगर वह अपनी प्रतिनियुक्ति अवधि के दौरान चेन्नई में तैनात है, तो इसे गृह क्षेत्र के रूप में गिना जाएगा। अन्य संगठनों में प्रतिनियुक्ति पूरी होने पर सीआईएसएफ में फिर से शामिल होने के समय, सीआईएसएफ कार्मिक को उस संगठन में अपनी पोस्टिंग का विवरण प्रस्तुत करना होगा, जिसे उस संगठन के संबंधित कार्यालय प्रमुख द्वारा प्रमाणित किया गया हो, जहां उसे प्रतिनियुक्त किया गया था। प्रतिनियुक्ति की पूरी अवधि को च्वाइस पोस्टिंग माना जाएगा, अगर उसने ऐसी प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुना था।

3.13 संयुक्त राष्ट्र मिशन/विदेश में प्रतिनियुक्ति।

संयुक्त राष्ट्र मिशन और विदेश में प्रतिनियुक्ति से वापस आने वाले सीआईएसएफ कार्मिकों को हार्ड एरिया में तैनात किया जाएगा, यदि उन्होंने अपना हार्ड एरिया कार्यकाल पूरा नहीं किया है। साथ ही, संयुक्त राष्ट्र मिशन में या विदेश में प्रतिनियुक्ति के सभी मामलों में उनका पूरा कार्यकाल,पसंदीदा पोस्टिंग/गृह क्षेत्र कार्यकाल माना जाएगा, यदि उन्होनें विदेश में संयुक्त राष्ट्र मिशन/प्रतिनियुक्ति का विकल्प चुना हो।

4. स्पष्टीकरण/शब्दावली:

4.1 किसी इकाई/फॉर्मेशन में तैनाती का कार्यकाल

क) इकाई: 3 वर्ष

ख) खंड/क्षेत्र/समूह: 3 वर्ष, अधिकतम 1 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

ग) बल मुख्यालय : 3 वर्ष, जिसे अधिकतम 2 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है।

4.2 खंड: निम्नलिखित खंड होंगे और उनके नाम के सामने दर्शाए गए भौगोलिक क्षेत्र उनके अंतर्गत शामिल होंगे:

i) **उत्तर-एनसीआर खंड**: जम्मू और कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, चंडीगढ़, उत्तराखंड, दिल्ली/एनसीआर और यूपी (लेकिन पूर्वी सेक्टर के तहत उल्लिखित पूर्वी यूपी के जिलों को छोड़कर)।

ii) **पूर्वी खंड**: बिहार,झारखंड ,पूर्वी यूपी जिसमे वाराणसी, जौनपुर, ग़ाज़ीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, संत रविदासनगर, सोनभद्र, देवरिया, गोरखपुर, कुशीनगर, महाराजगंज, अम्बेडकर नगर, अयोध्या, सुल्तानपुर, अमेठी, बाराबंकी, बहराइच, बलरामपुर, गोंडा, श्रावस्ती, बस्ती, संत कबीरनगर, सिद्धार्थ नगर, आज़मगढ़, बलिया, मऊ, प्रयागराज, फतेहपुर, कौशाम्बी, प्रतापगढ़।

iii) **पूर्वोत्तर खंड -II**: पश्चिम बंगाल, ओडिशा, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और सिक्किम।

iv) **पूर्वोत्तर खंड**: असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा।

v). **मध्य खंड**: मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़।

vi). **पश्चिमी खंड**:महाराष्ट्र , गोवा , दमन एवम् दीव व दादर एवम् नगर हवेली।

vii). **दक्षिणी खंड**: आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, पुडुचेरी और लक्षद्वीप।

4.3 गृह क्षेत्र/गृह क्षेत्र से बाहर का क्षेत्र: "गृह क्षेत्र" से तात्पर्य उस क्षेत्र से है जिसके अंतर्गत बल सदस्य का गृह पता आता है, जैसा कि उसने नियुक्ति के समय घोषित किया है। अन्य सभी क्षेत्रों को बल सदस्य के लिए गृह क्षेत्र से बाहर (ओएचएस) माना जाएगा।

4.4 सीआईएसएफ पर्याप्त क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने और बल के अखिल भारतीय स्वरुप को बनाए रखने का प्रयास करेगा। इसलिए, परिचालन और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अधीन, एक इकाई में तैनात अराजपत्रित अधिकारियों की लगभग 60% संख्या गृह क्षेत्र से होगी, जबकि इकाई में तैनात अराजपत्रित अधिकारियों की लगभग 40% संख्या गृह क्षेत्र से बाहर होगी।

4.5 स्थान: "स्थान" का तात्पर्य किसी शहर या कस्बा या जिला या स्थान से है जहां सीआईएसएफ की एक या अधिक इकाइयां स्थापित हैं।

4.6 योग्यता: यदि किसी पसंदीदा स्थान/गृह क्षेत्र को चुनने वाले बल सदस्यों की संख्या उस स्थान/गृह क्षेत्र में उपलब्ध रिक्तियों से अधिक है, तो मेरिट में उच्चतर बल सदस्य को प्राथमिकता दी जाएगी। "गृह क्षेत्र से बाहर" (ओएचएस) सेवा में अधिक अवधि तक सेवा करने वाले बल सदस्य की योग्यता "गृह क्षेत्र से बाहर" सेवा से कम अवधि वाले व्यक्ति से अधिक होगी। बराबरी की स्थिति में, उम्र में बड़े व्यक्ति को वरीयता दी जाएगी। यदि दो या अधिक कर्मियों के बीच फिर भी बराबरी रहती है, तो वरीयता उस व्यक्ति को दी जाएगी जो पहले सीआईएसएफ में शामिल हुआ हैं, जो बल में शामिल होने की तिथि के आधार पर होगा।

4.7 सामान्य परिस्थितियों में, सीआईएसएफ कार्मिकों को एक ही यूनिट में एक से अधिक बार तैनात नहीं किया जाएगा।

4.8 दम्पतियों को छोड़कर किसी भी करीबी रिश्तेदार को एक ही यूनिट में तैनात नहीं किया जाएगा।

5. सामान्य

क) उपरोक्त दिशा-निर्देशों में उल्लिखित सभी वार्षिक अधिसूचनाएं/सूचियों का अद्यतनीकरण संबंधित शाखाओं/बोर्डों द्वारा प्रत्येक वर्ष 1 जुलाई तक जारी किया जाएगा।

ख) सभी वार्षिक स्थानांतरण (एटी) आदेश सामान्यतः 15 फरवरी तक जारी किए जाएंगे, जो बल की परिचालन और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अधीन होंगे। वार्षिक स्थानांतरण/तैनाती में प्राथमिकता निम्नानुसार होगी:

i) 2 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिक

ii) महिला कार्मिक,

iii) विवाहित कामकाजी दम्पति मामले

iv) स्थानांतरण हेतु शेष कार्मिक।

ग) वार्षिक स्थानांतरण की समय-सीमा निम्नानुसार होगी:

i) 2 वर्ष के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले कार्मिकों की पोस्टिंग 31 दिसंबर तक जारी की जाएगी।

ii) महिला कार्मिकों की पोस्टिंग 15 जनवरी तक जारी की जाएगी।

iii) विवाहित कार्यरत दम्पति के मामले की पोस्टिंग 31 जनवरी तक जारी की जाएगी।

iv) स्थानांतरण हेतु शेष कार्मिकों की पोस्टिंग 15 फरवरी तक जारी कर दी जाएगी।

घ) अराजपत्रित अधिकारी को अपनी वर्तमान इकाई में एक वर्ष के लिए विस्तार की अनुमति दी जा सकती है यदि कार्मिक का पुत्र/पुत्री वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में 10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ रहा है और परिचालन और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अधीन पोस्टिंग के स्थान पर उसके साथ रह रहा है। उसे अगले वर्ष में इस आधार पर विस्तार नहीं दिया जाएगा कि उसके दूसरे पुत्र/पुत्रियाँ अगले वर्ष 10वीं या 12वीं कक्षा में पढ़ रहे हैं। यह नीति केवल दो जीवित बच्चों के लिए लागू है और एक बच्चे की शिक्षा के लिए एक बार इसका लाभ उठाया जा सकता है।

ङ) मानसिक रूप से विकलांग/शारीरिक रूप से विकलांग बच्चों वाले अराजपत्रित अधिकारीकी नियुक्ति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के जनवरी 1993 के कार्यालय ज्ञापन संख्या एबी.14017/4190स्था.(आरआर) (खंड II) के तहत जारी भारत सरकार के अनुदेशों के अनुसार विनियमित की जाएगी, जो यथासंभव रिक्तियों की उपलब्धता और अन्य प्रशासनिक एवं परिचालन आवश्यकताओं के अधीन होगी।

च) ऐसे सीआईएसएफ कार्मिकों(अराजपत्रित अधिकारियों) की नियुक्ति, जिनके बच्चे गंभीर चिकित्सा समस्याओं से ग्रस्त हैं, दिनांक 08.12.2011 के पत्र संख्या ई-38014/स्था.-II/2010/विविध/खंड-9/2667 तथा दिनांक 10.11.2015 के पत्र संख्या ई-38023/23/चिकित्सा/स्था.-II/2015/239 द्वारा जारी अनुदेशों तथा समय-समय पर जारी किए गए संशोधनों, यदि कोई हों, द्वारा शासित होगी।

छ) डीएई/डीओएस/एपीएस/टीएस इकाइयों में दी गई सेवाओं की गणना उन प्रादेशिक सेक्टरों में की जाएगी, जिनमें इकाइयां स्थित हैं। उदाहरण के लिए, डीएई कलपक्कम में दी गई सेवा को दक्षिण सेक्टर के रूप में गिना जाएगा, इसी तरह सैक (एसएसी) अहमदाबाद में इसे पश्चिम सेक्टर के रूप में गिना जाएगा। इसी तरह, बल मुख्यालय/सेक्टर/जोन/ग्रुप मुख्यालयों में दी गई सेवाओं की गणना उन प्रादेशिक सेक्टरों में की जाएगी, जिनमें मुख्यालय स्थित हैं।

ज) अराजपत्रित अधिकारियों की पोस्टिंग का आदेश जारी करते समय बल मुख्यालय संबंधित स्थान/सेक्टर आवंटित करेंगे। आम तौर पर इकाइयों का आवंटन संबंधित सेक्टर महानिरीक्षकों द्वारा किया जाएगा और ऐसे आदेश बल मुख्यालय आदेश के 7 दिनों के भीतर जारी किए जाने चाहिए। पोस्टिंग के खिलाफ यदि कोई अभ्यावेदन है, तो उसे आदेश जारी करने वाले प्राधिकारी द्वारा 15 दिनों के भीतर निपटाया जाना चाहिए।

झ) विशेष महानिदेशक/अपर महानिदेशक अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में तैनाती के लिए कार्मिकों के अनुरोध/अभ्यावेदन का निस्तारण कर सकते हैं। सेक्टर महानिरीक्षक अपने अधिकार क्षेत्र के भीतर तैनाती के लिए कार्मिकों के अनुरोध/अभ्यावेदन का निपटारा कर सकते हैं।

ञ) जहां तक संभव हो, अनसचिवीय कर्मचारियों को छोड़कर, एक यूनिट/फॉर्मेशन में न्यूनतम दो महिला अराजपत्रित अधिकारियों को तैनात किया जाना है।

ट) सभी अटैचमेंट ड्यूटी कार्मिकों को ड्यूटी के स्थान के आधार पर गृह क्षेत्र/गृह क्षेत्र से बाहरमाना जाएगा और इसे पीआईएस डेटा में दर्ज किया जाना चाहिए।

ठ) स्थानांतरण/तैनाती से संबंधित सभी मामलों पर निर्णय लेने के लिए अंतिम प्राधिकारी महानिदेशक होंगे। इस परिपत्र की व्याख्या से संबंधित कोई भीमामला महानिदेशक, सीआईएसएफ को भेजा जाएगा, उनका निर्णय अंतिम होगा।

6. उपर्युक्त सीआईएसएफ बल सदस्यों की पोस्टिंग और स्थानांतरण के लिए केवल व्यापक दिशा-निर्देश हैं और ये रिक्तियों की उपलब्धता, बल की परिचालन और प्रशासनिक आवश्यकताओं के अधीन हैं। इस परिपत्र में निहित दिशा-निर्देशों के बावजूद, सीआईएसएफ अधिनियम 1968 की धारा 15 के तहत, किसी भी बल के सदस्य को किसी भी स्तर पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा बिना कोई कारण बताए भारत/विदेश में कहीं भी पोस्ट किया जा सकता है और ये दिशा-निर्देश ऐसे स्थानांतरण/पोस्टिंग में अवरोध नहीं उत्पन्न करेंगे।

7. यह परिपत्र उक्त विषय पर दिनांक 25.09.2017 के पत्र संख्या ई-38011/1/2017/ईएसटीटी.II/134 के तहत जारी परिपत्र संख्या 22/2017 का स्थान लेगा।

8. इन दिशा-निर्देशों में निहित किसी भी बात के बावजूद, इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए किसी भी निर्देश से भिन्नता होने की स्थिति में, भारत सरकार के दिशा-निर्देश मान्य होंगे।

9. यह परिपत्र तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

10. इस आदेश में अंग्रेजी पाठ और हिंदी पाठ के बीच किसी भी विरोधाभास की स्थिति में, अंग्रेजी पाठ मान्य होगा ।

यह महानिदेशक, सीआईएसएफ के अनुमोदन से जारी किया गया है।

हस्ताक्षरित 23.12.2024
(सचिन बादशाह, आईपीएस)
महानिरीक्षक/कार्मिक

वितरण:

1. विशेष महानिदेशक/एपीएस, सीआईएसएफ एपीएस मुख्यालय नई दिल्ली
2. अपर महानिदेशक/उत्तर एवं दक्षिण
3. सभी खंड महानिरीक्षक (निसा और प्रशिक्षण मुख्यालय दिल्ली सहित)
4. सभी क्षेत्र/संयंत्र उप महानिरीक्षक
5. सभी समूह कमांडेंट/कमांडेंट/डिप्टी कमांडेंट/सहायक कमांडेंट/सभी सीआईएसएफ इकाई/बटालियन प्रभारी
6. सभी क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र (आर.टी.सी.)

आंतरिक

1. महानिदेशक/सीआईएसएफ के निजी सचिव
2. अपर महानिदेशक /मुख्यालय के निजी सचिव
3. महानिरीक्षक के निजी सचिव (कार्मिक/प्रशासन)
4. सभी उप महानिरीक्षक
5. सभी सहायक महानिरीक्षक
6. सहायक महानिरीक्षक/तकनीकी: सीआईएसएफ वेबसाइट पर अपलोड करने एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु।
7. सभी अनुभाग बल मुख्यालय